

## भाग— ॥

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)  
प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

परियोजना / स्कीम का सीन

— जनपद देहरादून में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि०मी०), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

- |       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| i)    | राज्य/संघ शासित क्षेत्र                                                                                                                                                                                              | — उत्तराखण्ड                                                                             |
| ii)   | जिला                                                                                                                                                                                                                 | — देहरादून                                                                               |
| iii)  | वन प्रभाग                                                                                                                                                                                                            | — चक्रराता वन प्रभाग                                                                     |
| iv)   | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )                                                                                                                                                | — 5.8695 है०                                                                             |
| v)    | वन की कानूनी स्थिति                                                                                                                                                                                                  | — सिविल सोयम वन भूमि                                                                     |
| vi)   | हरियाली का घनत्व <del>0.1</del> <del>0.205</del>                                                                                                                                                                     | —                                                                                        |
| vii)  | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० – 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए                                               | — संलग्न है                                                                              |
| viii) | भूक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।                                                                                                                                                        | — संलग्न है                                                                              |
| ix)   | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी                                                                                                                                                 | — 1000 मी० (लगभग)                                                                        |
| x)    | क्या फार्म राष्ट्रीय छद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य — जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए)                      | — नहीं                                                                                   |
| xi)   | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।                                                                                        | — नहीं                                                                                   |
| xii)  | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्त्वीय/पारम्परिक स्थल/-रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण—पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या | — नहीं                                                                                   |
| 8—    | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग—1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।                       | — वांछित भूमि न्यूनतम है सर्वेक्षण के आधार पर अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।     |
| 9—    | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।                   | — वन अधिनियम के उल्लंघन के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। |

10— प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मेंप।
- iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कायांन्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।
- iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
- v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपर्युक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

— प्रतिपूरक वनीकरण सिविल एवं सोयम मौजा .....में किया जाना है।

— मैप संलग्न है

— संलग्न है

इ. ४६९५२-११.७३९ ० १,३००००/- प्रति है० १५ २६०८/-

— संलग्न है

11— जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7 (XI, XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

—

12— प्रभाग /जिला प्रोफाइल

- i. जिले का भौगोलिक क्षेत्र। —
- ii. जिले का वन क्षेत्र। —
- iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। —
- iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल — प्रतिकूल वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित — वन भूमि
- (ख) वनेत्तर भूमि पर ..... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
- (क) वन भूमि पर — ६.७.३ : ६१ है०
- (ख) वनेत्तर भूमि पर — ८.१.८८ है०

३०७९ कि. हेक्टर  
२१६.७ है० वर्ग किमी

३५८.१०२ कि.

13— प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव

अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

उपर्युक्त वनीकरण की प्रगति एवं प्रतिकूल वनेत्तर की विशेष सिफारिश के बारे में विवरण दिया जाता है। तथा इनके दोषों का विवरण दिया जाता है। इनके दोषों का विवरण दिया जाता है। इनके दोषों का विवरण दिया जाता है। इनके दोषों का विवरण दिया जाता है।

दिनांक.....

स्थान.....

छप-प्रभागीय वनाधिकारी  
वनेत्तरता वा प्रभाग  
कल्पसी

नाम (५. रवि शंकर)  
सरकारी मोहरामीय वनाधिकारी

छलसता वन प्रभाग  
कराता (देहरादून